कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
बाण सागर नहर निर्माण खण्ड–7,
मीरजापुर

पत्रांकः 408 / बा.सा.न.नि.ख.–7.मी. / पी–5 (प्रो0) / दिनांक 17/06/2022

विषयः दांती ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत कैनाल क्रासिंग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः आपका पत्रांकः 2735 / दांती पे0यो0 / 303, दिनांक 06.06.2022
2170 / दांती पे0यो0 / 212, दिनांक 12.05.2022

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) बथुआ गॉंधीघाट, नकहरा रोड, मीरजापुर।

उपरोक्त विषयक अपने संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें आप द्वारा अवगत कराया गया है कि दांती ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत मेजा जिरगो लिंक नहर के कि0मी0 47.200 पर निर्मित पी0आर0बी0 जो कि लुम्बनी–दुद्धी मार्ग के कि0मी0 330 पर स्थित है, से पाईप लाइन क्रासिंग का प्रावधान किया जाना है, के लिए एन0ओ0सी0 / अनुमति की मांग की गयी है।

अतः उक्त कार्य हेतु अनुमति इस शर्त पर प्रदान किया जाता है कि पाईप लाइन क्रासिंग के निर्माण में खण्ड द्वारा निर्मित पी0आर0बी0 को किसी प्रकार की स्थाई अथवा अस्थाई नुकसान न पहुँचें। यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो टूट–फूट या मरम्मत का कार्य आपको स्वयं के लागत पर कराना होगा तथा पूर्व की भॉंति उक्त स्थल पर विभाग का अधिपत्य होगा।

अधिशासी अभियन्ता
बाणसागर नहर निर्माण खण्ड–7
मीरजापुर 17/6/22

पत्रांकः / बा.सा.न.नि.ख.–7,मी. / पी–5 (प्रो0) / तदिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर को उनके पत्र सं0–220(1) / आ0लि0–नमामि गंगे–2022 / दिनांक 16.06.2022 के संदर्भ में।
2. अधीक्षण अभियन्ता, बाणसागर नहर निर्माण मण्डल–प्रथम, मीरजापुर।
3. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, बाणसागर नहर निर्माण खण्ड–7, मीरजापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कार्य के दौरान कार्य की स्थल की निगरानी करना सुनिश्चित करें, जिससे किसी प्रकार की क्षति से बचा जा सके। यदि कोई क्षति परिलक्षित होती है तो अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

अधिशासी अभियन्ता
बाणसागर नहर निर्माण खण्ड–7
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय
उ0प्र0 जल निगम
मीरजापुर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

PD, लोक निर्माण विभाग , MIRZAPUR

प्रमाणपत्र क्रमांक : UPPWD/2022-2023/10010240 दिनांक:-05/08/2022

सेवा मे,

RAMKY BABA
Abhaw Khand UP Bhatua Ghandighat,Nakhara Road Mirzapur,MIRZAPUR,231001

विषय:- लुम्बिनी दुद्धी मार्ग पर Water Pipeline डालने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आवेदन क्रमांकः-PWD10010240

महोदय,

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	कटिंग की जाने वाली मार्ग की चैनेज/स्थल का विवरण	कटिंग की जाने वाली सतह का प्रकार	मात्रा	यूनिट
1	लुम्बिनी दुद्धी मार्ग	Kaccha Part	331.45-331.55	15	M^2
2	लुम्बिनी दुद्धी मार्ग	Interlocking Tiles	0.0000-0.0000	0	M^2
3	लुम्बिनी दुद्धी मार्ग	SDBC	0.0000-0.0000	0	M^2
4	लुम्बिनी दुद्धी मार्ग	BC	331.45-331.55	10.5	M^2
5	लुम्बिनी दुद्धी मार्ग	Mastic Concrete	0.0000-0.0000	0	M^2

<u>शर्ते :-</u>

- कटिंग का कार्य मार्ग के मध्य भाग से कम से कम 13.00 मी० की दूरी अथवा कच्चे भाग मे मार्ग की सतह से 1.50 मी० की गहरायी पर ही डाली जायेगी। इससे अधिक कार्य कदापि नहीं कराया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित सहायक अभियन्ता को लिखित सूचना देनी होगी एव उक्त कार्य की ड्राइंग एवं सेक्शन तथा गहराई की जानकारी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को देनी होगी। रोड कटिंग का मलबा लेपित मार्ग पर एकत्रित न करके, कार्य इस प्रकार कराया जाये कि यातायात मे बाधा उत्पन्न न हो।
- सभी प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय, जैसे बैरिकेडिंग, झन्डी, लालटेन आदि की व्यवस्था आप स्वयं करेंगे।
- यातायात के सुगम संचालन हेतु ट्रैफिक पुलिस से समन्वय स्थापित कर कार्य कराना होगा कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- मार्ग के जंक्शन आदि पर यदि किसी अन्य विभाग / संस्था की भूमि पड़ती है तो उसकी अनुमति सम्बन्धित विभाग से अलग से लेनी होगी।
- इस मार्ग पर अन्य विभागो की केबिल / पाइप लाइन आदि बिछी हो सकती हैं, कार्य इस प्रकार कराया जाये किं उन्हें कोई क्षति न पहुंचे। उन विभागों से एन०ओ०सी० प्राप्त करने एवं किसी प्रकार की क्षति के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- वाटर, सीवर, गैस एवं बिजली आदि की लाईन पड़ने पर उसे कोई क्षति न पहुंचे। उन विभागों से एन०ओ०सी० प्राप्त करने एवं क्षति के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- यदि भविष्य मे मार्ग का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के कार्य मे यदि पाइप लाइन / केबिल क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो किसी प्रकार का क्लेम मान्य नही होगा एवं पाइप लाइन / केबिल को स्वयं के खर्च पर स्थानान्तरित करायेगा।
- कार्य इस खण्ड के सहायक अभियन्ता की देख-रेख मे इस प्रकार सम्पन्न कराया जाये जिससे लोक निर्माण विभाग के मार्ग को कसी प्रकार की क्षति न हो, अन्यथा की स्थिति मे सभी प्रकार की क्षति की भरपाई आपसे की जायेगी।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आई०जी०एल० अथवा नेचुरल गैस विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी कि निर्माण कार्य करते समय आई०जी०एल० अथवा नेचुरल गैस की पाइप लाइन को किसी प्रकार की क्षति न हो। यदि आई०जी०एल० की पाइप लाइन को किसी प्रकार की क्षति होती है तो भारत का राजपत्र मे वर्णित The petroleum and natural gas regulatory board act 2006 Dt. 31-05 06 मे वर्णित किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिये आप स्वयं उत्तदायी होगें। मार्ग पर दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन अथवा किसी अन्य विभाग की लाइनें अगर हों तो उनसे एन०ओ०सी० प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य सम्पादित कराया जाये।
- उपरोक्त कार्य को करने हेतु यह अनुमति अधिकतम तीन माह (अनुमति जारी होने की तिथि से) के लिए मान्य होगी। यदि किसी कारणवश कार्य निर्धारित समय मे पूर्ण नहीं कराया जाता है तो उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु समयवृद्धि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से अलग से निर्गत की जायेगी।
- आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र के अधीन कार्य करने पर वन विभाग से अपने स्तर से एन०ओ०सी० प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना होगा।
- यह अनुमति मात्र आवेदन मे अंकित मार्ग के चैनेज के लिए ही मान्य होगी।
- उपरोक्त कार्य के पूर्ण होने की सूचना/प्रमाण पत्र आप चरण बार अधोहस्ताक्षरी को देंगे जिससे इसकी मरम्मत का कार्य चरण बार ही किया जा सके। अगर विभाग द्वारा मरम्मत करने के पश्चात आप द्वारा मार्ग पर पुनः कार्य किया जाता है तो उसकी अनुमति अलग से लेनी होगी।
- एन०ओ०सी० जारी होने के उपरांत 7 दिन के भीतर कार्य प्रारम्भ करना तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित अवधि से लोक निर्माण विभाग को अवगत कराना अनिवार्य होगा
- उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर उपरोक्त अनुमति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

Digitally Signed By
(SUNIL DUTT)
F7BB3028986384EF73A344E6DE3983C03C02DFBD
Date: 05/08/2022 11:41:32 AM, Location: MIRZAPUR.
अधिशासी अभियन्ता,

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय
उ०प्र० जल निगम
मीरजापुर

Undertaking Not To Submit Any Subsequent Proposal for the Same Purpose Involving the Same Area

Proposed protected forest land to be diverted for Laying of Water Distribution Line along Mirzapur to Robertsganj Road, (LHS) and proposed Reserved forest land to be diverted in Wyndom Fall, and Madihan Range, Mirzapur Forest Division, under Danti Group of Villages Drinking Water Scheme of Jal Jeevan Mission of Govt. of India, in District:- Mirzapur (Uttar Pradesh).

State Water and Sanitation Mission hereby undertakes that, User agency stating that the said proposal is complete including entire forest area involved in the execution of said project. There is no piece meal proposal will be entertained.

(Authorized Signatory)
अधिशासी अभियन्ता
UP Jal Nigam, Mirzapur
कार्यालय
उ० जल निगम

निर्दे-4

Encloser-04

As per the Objection raised Proposed water pipeling laying along road. It is minimum required area for proposed diversion, so there is no requirement of alternate route under taking attached. .[Encl-04]

(Authorized Signatory)
UP Jal Nigam, Mirzapur

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय
प० जल निगम
मिर्जापुर

फोन न0– 05442–245381

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) बथुआ, गाँधीघाट, नकहरा रोड, मीरजापुर

E-mail id- jalnigam3@gmail.com Mo no. - 9479942677

पत्रांक– 6550 / दाँति पेयजल योजना / 674 दिनांक– 02/11/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।

विषय– जनपद–मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन योजना के तहत् दाँती ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु विभिन्न ग्रामो में पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.1797 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 0.5897 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ–1– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगंज, लखनऊ के पत्र संख्या–8बी / यू0पी0 / 08 / 246 / 2022 / एफ0सी0 / 418, दिनांक 31.08.2022।

2– कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–794 / 11–सी, दिनांक 01.09.2022 ।

3– आपका पत्रांक– 766 / मी0 / 15 दिनांक 01.09.2022 व पत्रांक– 819 / मी0 / 15 दिनांक 06.09.2022 ।

महोदय,

जनपद–मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन योजना के तहत् दाँती ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना हेतु विभिन्न ग्रामो में पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने में प्रभावित 0.1797 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 0.5897 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा उठायी गयी 05 बिन्दु की आपत्तियों का निवारण करते हुये मय अभिलेखो सहित संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

क0सं0	आपत्ति	आपत्ति का निवारण
1-	The complete kml file of the area proposed for diversion is not depicted in the SOI toposheet. This needs rectification.	As per the objection raised, Revised SOI toposheet updated on online part-1 and attached with the hard copies.[Encl-01]
2-	No objection certificates of concerned Departments (Irrigation PWD, etc.)need to be submitted.	As per the objection raised, NOCs from Irrigation And PWD department has been attached with the proposal.[Encl-02]
3-	An undertaking needs to be submitted by the U/A stating tha the proposal includes complete forest area involved in the execution of said project no Piece meal proposal shall be entertained.	As per raised objection, undertaking has been submitted that the proposal includes entire forest area involved in the execution of said project. There is no piece meal proposal will been tertained.[Encl-03]
4-	Details of Alternative alignments needs to be provided in .kml file and also on toposheets.	As per the Objection raised Proposed water pipeling laying along road. It is minimum required area for proposed diversion , so there is no requirement of alternate route under taking attached. [Encl-04]
5-	Complete plan of supply of water to the said village needs to be submitted. All components needs to be depicted in KML file.	As per raised objection, Complete plan of supply of water to the said village has been submitted and also all components as forest and non forest land has been depicted in KMLfile. Attached in pen drive. [Encl-05]

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

for [signature]
अधिशासी अभियंता,
निर्माण खण्ड, जल निगम,
मीरजापुर

M7v
3-11-22

पृष्ठ संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।
2. श्री सुनील कुमार सिंह, सहायक अभियंता ।
3. टीम लीडर, पी0एम0सी0, थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा0लि0, मीरजापुर।
4. मे0 रामकी–बाबा (जे0वी0) दाँती ग्राम समूह पेयजल योजना, मीरजापुर। ।

for [signature]
अधिशासी अभियंता

To,
Divisional Forest Officer
Forest Division Mirzapur

Date:......................

Subject: Proposed protected forest land to be diverted for Laying of Water Distribution Line along Mirzapur to Robertsganj Road, (LHS) and proposed Reserved forest land to be diverted in Wyndom Fall, and Madihan Range, Mirzapur Forest Division, under Danti Group of Villages Drinking Water Scheme of Jal Jeevan Mission of Govt. of India, in District:- Mirzapur (Uttar Pradesh). Online **Proposal No. FP/UP/WATER/152749/2022**

Reference: Govt. of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change Integrated Regional office,Lucknow Letter No. 8B/UP/08/246/2022/FC/418, dated: 31.08.2022

Dear Sir/Madam,

Sr. No.	Essential Details Sought	Replies
1	The complete kml file of the area proposed for diversion is not depicted in the SOI toposheet. This needs rectification.	As per the objection raised, Revised SOI toposheet updated on online part-1 and attached with the hard copies. **[Encl-01]**
2	No objection certificates of concerned Departments (Irrigation PWD, etc.) need to be submitted.	As per the objection raised, NOCs from Irrigation And PWD department has been attached with the proposal. **[Encl-02]**
3	An undertaking needs to be submitted by the U/A stating that the proposal includes complete forest area involved in the execution of said project no Piecemeal proposal shall be entertained.	As per raised objection, undertaking has been submitted that the proposal includes entire forest area involved in the execution of said project. There is no piece meal proposal will be entertained. **[Encl-03]**
4	Details of Alternative alignments needs to be provided in kml file and also on toposheets.	As per the objection raised proposed water pipeline laying along road. It is minimum required area for proposed diversion, so there is no requirement of alternate route under taking attached. **[Encl-04]**
5	Complete plan of supply of water to the said village needs to be submitted. All components needs to be depicted in KML file.	As per raised objection, Complete plan of supply of water to the said village has been submitted and also all components as forest and non forest land has been depicted in KML file. Attached in pen drive. **[Encl-05]**

(Authorized Signatory)
UP Jal Nigam, Mirzapur

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय
उ०प्र० जल निगम
मीरजापुर